पत्रांक–04 / NULM–26 / 2016 2146 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद, एवं नगर पंचायत।

दिनांक– 29/8/18

विषय :– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SM&ID घटक के अन्तर्गत नगर निकाय स्तर पर Resource pool तैयार करने हेतु CRPs का चयन एवं उसकी सूची भेजने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–394 दिनांक–22.02.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रसांगाधीन पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासांगिक पत्र के माध्यम से CRPs के चयन हेतु मार्गदर्शिका (प्रति संलग्न) का प्रेषण किया गया था। परन्तु कुछ नगर निकायों को छोड़कर शेष नगर निकायों द्वारा CRPs का चयन नहीं किया जा सका है, जिससे योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि नगर स्तरीय संघ एवं क्षेत्र स्तरीय संघों के लीडरों का प्रशिक्षण, उपसमितियों का प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के संसाधन सेवियों (CRPs) के प्रशिक्षण को क्रियान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर Resource pool तैयार करने हेतु योग्य CRPs की सेवा लिया जाना है। इसलिए Resource pool तैयार करने हेतु तैयार मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित मापदण्ड के अनुसार Resource pool तैयार करने हेतु योग्य CRPs का चयन कर, सूची विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–(1) **CRPs के चयन हेतु मार्गदर्शिका।**
(2) **Resource pool तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका।**

विश्वासभाजन,
29-8-18

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

E:\NeS2 NoFtNa\Section-4\Lalan Jee\Special secre .doc

DAY-NULM के तहत निकाय स्तर पर गठित सामुदायिक संगठनों (ALO, CLF, CRP, और SHG के लीडर) को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु CRPs की रिसोर्स पूल (Resource Pool) तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश

पृष्ठभूमि :–

DAY-NULM राज्य शहरी आजीविका मिशन, राज्य के 38 जिलों के 140 नगर निकायों में गरीब महिलाओं को समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से संगठित करने का कार्य कर रही है। इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन सेवियों एवं कैडरो की आवश्यकता हैं, जो इन सामुदायिक संगठनों के संचालन हेतु सहायक होगें। इन सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं निरंतता कायम रखने के लिए समुदाय आधारित संगठनों एवं उनके कैडरों की निरन्तर प्रशिक्षण होते रहना नितांत ही आवश्यक है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का एक Resource Pool तैयार किया जाना हैं। CRPs के चयन सम्बन्धित विस्तृत मार्गदर्शिका पूर्व में ही नगर निकायों को भेजी जा चुकी है।

प्रशिक्षण के कार्यों की महत्ता एवं इसको सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु जोन अनुसार रिसोर्स पूल (Resource Pool) की सूची पूर्व में ही तैयार कर लिया जाना आवश्यक है। इस रिसोर्स पूल (Resource Pool) द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संम्बन्धी कार्यों जैसे– नगर स्तरीय संघ एवं क्षेत्र स्तरीय संघों के लीडरों का प्रशिक्षण, उपसमितियों का प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के संसाधन सेवियों (CRPs) की प्रशिक्षण को कियान्वित करने में सहायक होगा।

कार्यरत CRPs में से ही चयन कर ट्रेनरों का रिसोर्स पूल तैयार किया जायेगा। जिसकी सेवा नगर निकाय स्तर पर Resource Pool के रूप में ली जायेगी। राज्य के 140 नगर निकायों को प्रमण्डल अनुसार 9 जोन में बाँट कर ट्रेनरों का एक रिसोर्स पूल (Resource pool) तैयार किया जायेगा। इस हेतु प्रमण्डल अनुसार प्रति जोन 6 प्रशिक्षकों का रिसोर्स पूल (Resource Pool) तैयार किया जायेगा। इस तरह से राज्य स्तर पर कुल 54 रिसोर्स पूल/ट्रेनर पूल कों सूचीबद्ध किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया:–

DAY-NULM के अधीन राज्य स्तर पर निकायों द्वारा चयनित CRPs के मध्य से योग्य व्यक्तियों का रिसोर्स पूल (Resource Pool) के रूप में चयन किया जायेगा। जोन स्तर पर रिसोर्स पूल/ट्रेनर पूल सदस्य CRPs में से चुने हुए वो लोग होगें जो अपने अनुभव एवं सीख द्वारा दूसरों को प्रशिक्षण देने में समर्थ होगें।

ये चुने हुए व्यक्ति चयनित CRPs के बीच से ही होगें, जिन्हे प्रशिक्षण विधियों की जानकारी हो और दूसरों को प्रशिक्षण दे सके। रिसोर्स पुल के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड हो सकते है:–

(क) जो CLFs/ALOs/CRPs को नगर निकाय स्तर प्रशिक्षण देने का अनुभव रखते हो।
(ख) प्रशिक्षण देने की कला, पद्धति, बारीकियों की जानकारी रखते हो।
(ग) जो कम से कम 1–2 वर्ष से विभिन्न स्तर पर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देते रहे हो।

रिसोर्स पुल / ट्रेनर पूल (Resource Pool/Trainer Pool) की पात्रता की शर्तेः–

(क) कम से कम 1 वर्ष तक CRPs के रूप मे कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
(ख) शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक उतीर्ण हो।
(ग) स्वयं सहायता समूह का ऋण चुककर्ता (Loan Defaulter) नहीं हो।
(घ) समूह में व्यक्तिगत ऋण वापसी दर 90 प्रतिशत हो।
(ङ) समुदाय को सेवा देने तथा दूसरे शहरों में आने जाने के लिए परिवार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो।
(च) उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 55 वर्ष से कम हो।

उपरोक्त मापदंडो एवं पात्रता के आधार पर नगर निकाय चयन प्रकिया का पालन करते हुए रिर्सोस पुल / ट्रेनर पुल के सदस्यों के चयन हेतु सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगी।

- इस हेतु राज्य स्तर पर चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया जायेगा। कमिटी के सदस्य, टीम लीडर PMC DAY-NULM,राज्य मिशन प्रबन्धक (SM&ID) DAY-NULM, स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिनिधि एवं जीविका के प्रतिनिधि होगें।
- निकायों द्वारा प्राप्त सूची का Screening चार सदस्यीय कमिटी द्वारा किया जायेगा।
- Screening के उपरान्त राज्य स्तर पर गठित कमिटी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित एवं साक्षात्कार आयोजित कर सफल आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी।
- राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा योग्य आवेदकों को Offer letter जारी कर उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।
- सहमति प्राप्त करने के पश्चात् विभाग द्वारा सभी नगर निकायों को उनकी सेवा लेने हेतु दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।
- इनकी सेवा माह में अधिकतम 20 दिनों की होगी एवं अनुबंध एक साल का होगा। संतोषप्रद कार्य के आधार पर अनुबंध का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

कार्य एवं उतरदायित्व :–

(क) समय–समय पर CLFs, ALOs एवं CRPs का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के कार्य के लिये योजना तैयार करना।
(ख) राज्य शहरी आजीविका मिशन, द्वारा प्रदत्त सभी प्रशिक्षण कार्यकम को सुचारू रूप से कियान्वयित करना ।
(ग) राज्य शहरी आजीविका मिशन / नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण कार्यकम करना एवं उसका प्रतिवेदन सम्बन्धित नगर निकाय के साथ–साथ राज्य शहरी आजीविका मिशन को ससमय उपलब्ध कराना।
(घ) रिसोर्स पूल / ट्रेनर पूल (Resource Pool/Trainer Pool) द्वारा प्रशिक्षण रिर्पोट तैयार कर प्रतिभागियों की उपस्थिति के साथ नगर निकायों को समर्पित करेगें एवं माह के आखिरी में राज्य शहरी आजीविका मिशन को समेकित कर प्रतिवेदन समर्पित करेगें।
(ङ) राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यो में सहयोग करना ।

मानदेय एवं अन्य भत्ता :–

- रिसोर्स पुल/ट्रेनर पुल सदस्यों को उनके कार्यो के लिए 300/– (तीन सौ रू मात्र) प्रतिदिन रिसोर्स फी (Resource Fee) के रूप में देय होगा एवं उनके रहने खाने/आने–जाने का खर्च वास्तविकता के आधार पर सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा । जिसका समायोजन DAY-NULM के SM&ID घटक के अन्तर्गत किया जायेगा।
- रिर्सोस पूल के सदस्यों को दिये जाने वाले रिर्सोस फी की बढोत्तरी का आकंलन समय–समय पर राज्य स्तर पर गठित चार सदस्यीय कमिटी द्वारा अनुशंसा कर की जायेगी।
- रिसोर्स पूल/ट्रेनर पूल द्वारा विहित प्रपत्र में मानदेय एवं अन्य भत्ता का भुगतान हेतु प्रशिक्षण प्रतिवेदन नगर निकायों में जमा किया जायेगा।
- नगर मिशन प्रबन्धक प्रशिक्षणोंपरान्त रिर्सोस पूल द्वारा समर्पित प्रशिक्षण प्रतिवेदन को सत्यापित करेगें एवं नगर निकाय अनुमोदनोपरान्त भुगतान करेगें।
- नगर निकाय द्वारा संम्बन्धित रिर्सोस पूल/ट्रेनर पूल को मानदेय का भुगतान A/C payee Cheque या RTGS के माध्यम से (प्रशिक्षण के आखिरी दिन ही कर दी जायेगी।
- Resource Pool/Trainer Pool को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण सामग्री, भोजन एवं अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी नगर निकायों की होगी।

प्रशिक्षण का कियान्वयनः–

1. नगर निकाय द्वारा प्रशिक्षण कैलेन्डर का त्रैमासिक योजना बनाकर प्रस्ताव के साथ माँग पत्र निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, को भेजा जायेगा एवं राज्य स्तर पर समीक्षा एवं स्वीकृत के उपरान्त अग्रिम राशि नगर निकायों को हस्तान्तरित की जायेगी।
2. नगर निकाय प्रशिक्षण कराने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेगें।
3. नगर निकाय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा। इस कमिटी के सदस्य नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर मिशन प्रबन्धक एवं लेखापाल होगें।
4. राज्य स्तर पर भी आन्तरिक मुल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें कमिटी के सदस्य के रूप में टीम लीडर (PMC DAY-NULM),राज्य मिशन प्रबन्धक (SM&ID),राज्य मिशन प्रबन्धक (CB&T) एवं लेखा सहायक होगें।
5. राज्य स्तर पर मुल्याकंन समिति की समीक्षा रिर्पोट के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निकायों को दिये गये अग्रिम राशि को समायोजित किया जायेगा।
6. नगर निकाय, निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन को रिसोर्स पूल/ट्रेनर पूल (Resource Pool) द्वारा समर्पित प्रशिक्षण प्रतिवेदनों को संकलित कर विस्तृत सत्यापित प्रशिक्षण रिर्पोट माह के प्रथम सप्ताह में NULM को मासिक प्रतिवेदन के साथ जमा करेगें।

क्षमतावर्द्धनः–

CRP में से चयनित सभी रिसोर्स पूल (Resource Pool) का समय–समय पर विभिन्न विषयों के ऊपर DAY-NRLM/जीविका/विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का कार्य किया जायेगा।

Annexure-A

अंक तलिका

उपार्जित अंक									
क्र0 सं0	नाम	शैक्षणिक योग्यता	सामाजिक कार्य करने का अनुभव	कम्युनिकेशन	कम्प्युटर का अनुभव	पूर्व मे समान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने का अनुभव	लिखित परीक्षा	कुल अंक	टिप्पणी

क्र0सं0	अर्हता	मानदंड	अंक
1	शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम अंक–10)	10 (मैट्रिक)	5
		10+2	8
		ग्रेजुएट	10
		कुल	10 अंक
2	सामाजिक कार्य करने का अनुभव (अधिकतम अंक–10) (आवेदक द्वारा सर्मपित प्रमाण पत्र के आधार पर)	5 वर्ष	5
		5–7 वर्ष	8
		8–10 वर्ष	10
		कुल	10 अंक
3	कम्प्युटर का अनुभव (अधिकतम अंक–10) (प्रमाण पत्र के आधार पर)	अनऔपचारिक	0
		6 माह	5
		1 साल का	10
		कुल	10 अंक
4	कम्युनिकेशन (अधिकतम अंक–5)	साक्षात्कार के दौरान भाषा, प्रस्तृति एवं प्रवाह आदि के आधार पर	5
5	लिखित परीक्षा (अधिकतम अंक–5)	परीक्षा के आधार पर	5
6	पूर्व में समान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य करने का अनुभव (अंक–10)	1 वर्ष या अधिक	10
	कुल अंक –50		